भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/जीएएण्डएचआर/सीआईआर/विविध/171/8/2022
Ref: IRDAI/GA&HR/CIR/MISC/171/8/2022 11/08/2022

परिपत्र
CIRCULAR

विषयः बीमाकर्ताओं को आईआरडीएआई द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर जीएसटी से छूट को वापस लेना
Reg: Withdrawal of exemption from GST on services provided by IRDAI to Insurers

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. 04/2022 – केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 13 जुलाई 2022 (18 जुलाई 2022 से प्रभावी) के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं के संबंध में अधिसूचना सं. 12/2017 – केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई केन्द्रीय कर (जीएसटी) छूट वापस ली गई है।
As per the MoF (Dept. of Revenue), GoI Notification No. 04/2022 – Central Tax (Rate), dt. 13th July, 2022 (effective from 18th July, 2022), the central tax (GST) exemption provided to the Authority vide Notification No. 12/2017 – Central Tax (Rate) dt. 28.06.2017 in respect of the services provided by the Authority to Insurance companies under the IRDA Act, 1999 has been withdrawn.

अतः सभी बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि शुल्क / प्रभार आदि के लिए 18 जुलाई 2022 को या उसके बाद देय / अदा किया गया कोई भी भुगतान 18% की दर से जीएसटी के साथ किया जाएगा।
Therefore, all insurers are advised to ensure that any payment made to the Authority towards fees / charges etc., due / paid on or after 18th July, 2022, shall be made along with GST @ 18%.

इसके अलावा, सभी बीमाकर्ताओं को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वे शुल्क संग्रहण के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न किये गये बीजकों में शामिल करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या से युक्त अपने जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति 20 अगस्त 2022 को या उससे पहले नीचे दिये गये ई-मेल आईडीयों के अनुसार प्रस्तुत करें।
Further, all the insurers are hereby advised to submit a copy of their GST registration certificate bearing the Goods and Services Tax Identification Number to the Authority as per the e-mail IDs given below on or before 20th August, 2022 for the purpose of including the same in the invoices generated by the Authority in respect of the fee collection:

बीमाकर्ता / Insurers	ई-मेल आईडी / Email id
जीवन बीमाकर्ता / Life Insurers	life@irdai.gov.in & accounts@irdai.gov.in
गैर-जीवन बीमाकर्ता / Non-Life Insurers	nonlife@irdai.gov.in & accounts@irdai.gov.in
स्वास्थ्य बीमाकर्ता /Health Insurers	health@irdai.gov.in & accounts@irdai.gov.in
पुनर्बीमाकर्ता / Reinsurers	reinsurance@irdai.gov.in & accounts@irdai.gov.in

Meena Kumari
मुख्य महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन)
CGM (General Administration & HR)